महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेल्वे व अन्य

बनाम

चंदा देवी,

12 दिसंबर, 2007

[पीठः न्यायाधिपति एसबी सिन्हा, न्यायाधिपति हरजीत सिंह बेदी]

रेल्वे स्थापना नियमावली अध्याय- XX नियम 2001,2002,2005- अनियत श्रमिक- अस्थायी दर्जा प्राप्त करना- पेंशनरी लाभ (पारिवारिक पेंशन)- अधिकार- निर्णितः कर्मचारी पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ का हकदार नहीं था- अस्थायी दर्जा प्राप्त करने वाले अनियमित श्रमिक आैर अस्थायी कर्मचारी के बीच अन्तर है- इसके अतिरिक्त नियमितीकरण की प्रक्रिया कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात प्रारम्भ की गई थी- यदि कोई लाभ पहले ही दिया जा चुका है तो उसकी वसूली न करने का निर्देश- रेल्वे सेवा (पेंशन) नियम,1993- भारतीय संविधान, 1950- अनुच्छेद 142

प्रत्यर्थी संख्या- 1 के पति को परियोजना अनियत श्रमिक के तौर पर नियुक्त किया गया। समान स्थिति वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु रिट याचिका में नियमितीकरण की योजना प्रस्तावित की गई तथा उक्त को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर योजना दिनांक 01.01.1981 से प्रभावी हुई। रेल्वे प्रशासन द्वारा योजना के तहत अनियत कर्मिको को अस्थायी कर्मचारी के तौर पर मानते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या-1 के पति का नाम आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लखित था। अन्य परिपत्र के माध्यम से परियोजना को दिनांक 11.03.1983 से प्रभावी किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1983 में प्रत्यर्थी संख्या-1 के पति की मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पेश किया गया। इसे इस आधार पर खारिज किया गया कि रेल्वे नियमों के अनुसार प्रतिस्थापित अस्थायी कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत नहीं है। उसके द्वारा नियमों की वैधता को प्रश्नगत करते हुए मूल आवेदन पेश किया गया। केन्द्रीय अधिकरण द्वारा उक्त को स्वीकार किया गया। इसके विरूद्ध दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपील पेश की गई।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1. रेल्वे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के परिपेक्ष में बनाए गए, हस्तगत मामले में लागू नहीं होते है। एक अनियत कर्मचारी को अस्थायी दर्जा प्रदान करके उसकी सेवा को संरक्षित किया गया था व इस कारण पेंशन नियम लागू नहीं किए गए थे। एक कर्मकार को न ही वह दर्जा दिया गया था एवम न ही दिया जा सकता था जिसका वह हकदार नहीं था। (पैरा संख्या-10 व 27)

2. यदि रेलवे कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में निहित प्रावधानों

को ध्यान में रखते हुए एक दर्जा प्राप्त होगा। भर्ती नियम अस्थायी और स्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। उनकी सेवाएँ निर्विवाद रूप से अनुच्छेद 311(2) के तहत संरक्षित हैं। (पैरा संख्या-12)

मोतीराम डेका बनाम महाप्रबन्धक एन.ई.एफ. रेल्वे, मालीगांव, पाण्डू ए.आई.आर.(1964)एस.सी.600 व खेमचंद बनाम भारत संघ व अन्य .आई.आर. (1958) एस.सी. 300

3. अध्याय XX अनियत श्रम के लिए प्रदान करता है। का मामला नियमों के अध्याय XX द्वारा शासित था। नियम 2001 उसकी प्रयोज्यता को बाहर करता है जो स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है।(पैरा संख्या-11 व 14)

रामकुमार व अन्य बनाम भारत संघ अन्य [1988] 1 एस.सी.सी. 306 व भारत संघ व अन्य बनाम राबिया बीकानेर व अन्य [1997] 6 एस.सी.सी. 580

4. अस्थायी स्थिति वाले एक अनियत श्रमिक और एक अस्थायी नौकर के बीच अंतर को नियमावली के अध्याय XV में आने वाले नियम 1501 में निहित अस्थायी रेलवे सेवक की परिभाषा से तुरंत देखा जा सकता है। उच्च नयायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि जब अनियत श्रमिक को स्थायी या अस्थायी कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो

अस्थायी स्थिति वाला वह ऐसा नहीं हो सकता था और इसके लिए कोई कानूनी अनुमति नहीं है। किसी संस्था में कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में रखना विधायिका का काम है। यह कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए एक नई श्रेणी बना सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत नियम बनाने के लिए भी किया जा सकता है।(पैरा संख्या-20 व 26) दक्षिण रेल्वे कर्मचारी संघ त्रिवेन्द्रम डिवीजन बनाम महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे और अन्य [1987] 1 एससीसी 677

5. कार्यालय आदेश दिनांक 24.1.1989 में, पदनाम टीएस हेल्पर सीएसआई (निर्माण) के रूप में दिखाया गया है यानी सीएसआई (निर्माण) के अनुसार अस्थायी स्थिति। हालांकि, गलत तरीके से इसे पेंशन योग्य पद बताया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष, रेलवे प्रशासन द्वारा एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि चयन परीक्षण उसके लंबे समय बाद आयोजित किए गए थे-वर्ष 1999 में किसी समय एक बार। केवल चयन परीक्षण आयोजित करने पर ही संबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सका; और जैसा कि राम निवास के मामले में, उनकी मृत्यु वर्ष 1988 में हो गई थी, उनका कोई चयन परीक्षण नहीं हुआ था और न ही हो सकता था और उन्हें कोई पेंशन लाभ या पारिवारिक पेंशन का लाभ स्वीकार्य नहीं था।(पैरा संख्या-21)

6. सरकारी कर्मचारियों की भर्ती सख्ती से वैधानिक नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। कर्मचारियों के अधिकार कानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, हमारी राय में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार होने का प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत था। विधायिका को किसी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह केवल इसकी वैधता है, जिसे चुनौती दी जा सकती है। इन मामलों में, नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।(पैरा संख्या-25 व 28)

7. किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियनत्रित मामले के संबंध में कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। खेम चंद (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया था और राय दी थी कि रेलवे नियमावली समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का एक मिश्रण था। ऐसे कार्यकारी निर्देश या बनाए गए नियम वैधानिक प्रकृति के होंगे। (पैरा संख्या-24)

खेमचंद बनाम भारत संघ व अन्य ए.आई.आर.(1958) एस.सी. 300

8. हालाँकि, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देशित करते है कि यदि प्रत्यर्थी नंबर 1 को पारिवारिक पेंशन के लाभ सहित कोई लाभ दिया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी।(पैरा संख्या-29)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5833/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के रिट याचिका संख्या 5317/2004 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 25.04.2004

के साथ

सिविल अपील संख्या 5839/2007

परमजीत सिंह पटवाहा, अमनप्रित सिंह राही, साकेत सिंह, वरूणा भण्डारी गुगनानी, आर.सी. काठी व बी कृष्णा प्रसाद प्रत्यर्थीयों की ओर से। पी.के.शर्मा,गौरव नागर,एस.के.मिश्रा व देवशीष मिश्रा अप्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया कि:-

न्यायाधिपति एस.बी. सिन्हा- अनुमति स्वीकृत।

1. इन अपीलों में भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (इसके बाद नियमावली के रूप में संदर्भित) के कुछ प्रावधानों की व्याख्या प्रश्न में है, जो डीबी सिविल में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के दिनांक 25.4.2005 के निर्णयों से उत्पन्न हुई है। 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 5317 और डीबी सिविल में 25.4.2005 के डब्ल्यूपी नंबर 5316, 2004 में क्रमशः ओए नंबर 536/2003 में दिनांक 12.4.2004 के आदेश और ओए नंबर 233/2003 में दिनांक 7.4.2003 के आदेश की पुष्टि की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:

एसएलपी सख्या 23737/2005 से उत्पन्न् सिविल अपील में प्रत्यर्थी संख्या एक संतोष रामनिवास की विधवा है, जिसे दिनांक 08-11-1979 को

परियोजना अनियत श्रर्मिक के तौर पर नियुक्त किया गया था ।समान स्थिति वाले कर्म्चारियों के नियमितीकरण का मामला विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष इन्द्रपाल यादव एवम अन्य बनाम भारत संघ अन्य, (1985) 2SCC 648 में आया । समय समय पर उक्त मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय द्वारा नियमितीकरण की योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया, जिसके अनुसरण व उपसहायता हेतु भारत संघ रेल मंत्रालय द्वारा समय समय पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव रखे। अन्ततः इस नयायालय के समक्ष योजना पेश की गई, जिसका खण्ड 5-1 इस प्रकार हैः-

> "5.1. इस तरह के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने अब सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि परियोजनाओं पर नियोजित अनियत श्रम (जिसे परियोजना अनियत श्रम भी कहा जाता है) को 360 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी माना जा सकता है। मंत्रालय ने आगे इस प्रकार निर्णय लिया है:
>
> (ए) ये आदेश शामिल होंगे:
>
> (i) परियोजनाओं पर अनियत श्रमिक जो 1 जनवरी 1984 को सेवा में हैं; और
>
> (ii) परियोजनाओं पर अनियत श्रमिक, जो 1 जनवरी 1984 को सेवा में नहीं थे, लेकिन पहले रेलवे में सेवा में थे और

निरंतर रोजगार की उपरोक्त निर्धारित अवधि (360 दिन) पहले ही पूरी कर चुके हैं या निरंतर रोजगार की उक्त निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। भविष्य में पुनः नियुक्ति पर रोजगार। (इस समूह के संबंध में एक विस्तृत पत्र इस प्रकार है।)

(बी) निर्णय को निम्नलिखित अनुसूचि के अनुसार चरणों में लागू किया जायेगा।"

उक्त योजना को इस न्यायालय द्वारा खंड 5.1 (ए) (आई) के संशोधन के अधीन स्वीकार किया गया था, जिस तारीख से योजना प्रभावी हुई थी जनवरी, 1981.

3. उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उक्त योजना के संदर्भ में रेलवे प्रशासन ने एक कार्यालय आदेश जारी किया; जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"1. प्रधान कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश के तहत ऐसे कैजुअल वर्कर जिन्होंने 01.01.1984 को 3 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन 5 साल से कम और जिन्होंने 1095 दिनों से अधिक काम किया है, उन्हें 01.01.1985. से अस्थायी कर्मचारी माना जाने का आदेश दिया गया है।

2. ऐसे अनियत कर्मचारी जिन्होंने 31.12.83 को 360 दिन कार्य किया है परन्तु 3 वर्ष से कम कार्य किया है उन्हें 01.01.1986 से अस्थाई कर्मचारी माने जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए, निम्नलिखित अनियत कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी माने जाने के पात्र हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति चयन समिति द्वारा उनके चयन के बाद ही की जाएगी।"

4. उक्त कार्यालय आदेश में उक्त रामनिवास का नाम क्रमांक 15 पर दर्शाया गया था जो इस प्रकार है:-

"क्रम संख्या	नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति दिनांक	31.12.1983 तक कुल सेवा दिवस	अस्थाायी कर्मचारीदर्जा देने की दिनांक
****	****	*****	****	****	****
15	रामनिवास सिंह श्योताज सिंह	07.03.1956	08.11.1979	707	1.01.1986"

5. एक अन्य परिपत्र के कारण दिनांक 1.1.1984 को बदलकर 11.3.1983 कर दिया गया। रामनिवास की मृत्यु 29.12.1988 को हो गई। आदेश दिनांक 24.1.1989 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या एक का उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया किः

> "खेद के साथ सूचित किया जाता है कि सीएसआई (सी) जयपुर के अधीन श्री राम निवास पुत्र श्योताज सिंह की मृत्यु 29.12.88 को हो गई है।
>
> कर्मचारी का विवरण इस प्रकार है। ड्यूटी पर घायल होने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई थी।
>
> *** *** ***
>
> कर्मचारी का सैटलमेन्ट शीघ्र ही किया जायेगा।"

उनकी पत्नी ने पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन दिनांक 23.4.2003 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था:

> "संदर्भ: आपका आवेदन पत्र दिनांक 5.3.2005
>
> पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए आपके आवेदन की जांच की गई है और पाया गया है कि रेलवे नियमों के

अनुसार, प्रतिस्थापित अस्थायी कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत नहीं है।

कृपया जानकारी के लिए.

एसडी/-

सीनियर डीपीओ

जयपुर"

6. उक्त नियम की वैधता पर सवाल उठाते हुए पहले प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया गया। उक्त को अहमदाबाद पीठ के अधीकरण की सम्न्यवय न्यायपीठ द्वारा श्रीमती वल्लम बादिया बनाम भारत संघ [2003) (2) एसएलजे कैट 271] में पारित निर्णय जिसे गुजारात उच्च न्यायालय की डिविजन पीठ द्वारा भारत संघ बनाम शांति देवी, रामावत रामावत जैकरी और अन्य [विशेष अनुमति अपील संख्या 12456/03 निर्णित 21.7.2003] मे पुष्ट किया गया, के आधार पर निर्णय व आदेश दिनांकित 07-04-2004 के माध्यम से अनुमति दी गयी। अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध दायर रिट याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"राम निवास की स्थिति के संबंध में दिए गए निष्कर्षों के संदर्भ में अधिकरण या इस न्यायालय के समक्ष संदर्भित निर्णयों के आधार पर मामले को याचिकाकर्ता या राम

निवास की प्रत्यर्थी विधवा के पक्ष में कवर किए जाने के संबंध में विवाद ढीला है। इसका सारा महत्व उक्त विवाद तभी प्रासंगिक होता यदि यह सिद्ध हो जाता कि रामनिवास की स्थिति अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिक की थी। निश्चित रूप से, यदि हमारे द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दिया गया होता, तो हम मामलें पर चर्चा भारत संघ और अन्य बनाम राबिया बीकानेर और अन्य तथा निर्णय 1988(1) एससीसी 306 एवम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1996(1) ऑल इंडिया सर्विसेज लॉ जर्नल वॉल्यूम IV 116. मामले में पारित पुर्नविलोकन आदेश के आधार पर करते। हालाँकि उल्लेखनीय है कि राम निवास की विधवा का बचाव करने वाले अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारत संघ बनाम राबिया बीकानेर (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को संभवतः लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त रामनिवास में पारित निर्णय पर आधारित है जिसका पुर्नविलोकन स्व्यं रेल्वे द्वारा अस्थायी कर्मचारियों की पेंशन नीति के सन्दर्भ में किया गया है।"

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परमजीत सिंह पटवालिया द्वारा भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के

विभिन्न प्रावधानों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया, जिसके प्रासंगिक प्रावधानों पर इसके बाद ध्यान दिया जाएगा, और तर्क दिया कि अधिकरण और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे अस्थायी कर्मचारी की स्थिति वाले एक श्रमिक और अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिक की विशिष्ट विशेषता पर विचार करने में विफल रहे। यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय और अधिकरण ने भी गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे राम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ[1988 (1) एससीसी 306] का निर्णय व उसके पुर्नविलोकन आदेश राम कुमार बनाम अन्य बनाम भारत संघ अन्य [1996 (1) एसएलजे 116] व भारत संघ और अन्य बनाम रबिया बीकानेर अन्य [(1997) 6 एससीसी 580] को उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने मे विफल रहे है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्णतया असंधारणीय है। क्योंकि दिनांक 24.1.1989 के पत्र में पेंशन योग्य शब्द एक स्पष्ट गलती थी जिसे नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। यहां तक की पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए परिपत्र का भी कोई महत्व नहीं है जिसके आधार पर कर्मचारी को अस्थायी दर्जा दिया गया था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पीके शर्मा ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी का मामला रेलवे सेवा (पेंशन) नियम -1993 द्वारा शासित होता है। यह तर्क दिया गया कि नियुक्ति

योजना व पत्र दिनांकित 24.1.1989 में रेल्वे प्रशासन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यथी संख्या 1 के पति श्री राम निवास एक अस्थायी कर्मचारी थे, एवम अब अपीलार्थी द्वारा पक्ष बदलना अनुज्ञेय नहीं है।

9. हम, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, यह रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों के प्रावधानों का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। उक्त पेंशन नियम 2.12.1993 से लागू हुए। नियम 2 मात्र निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में इसे लागू करता हैः

> "2. आवेदन इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ये नियम निम्नलिखित रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे, अर्थात्: -
>
> (1) कोई भी ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी जिसकी सेवा 16 नवंबर, 1957 को रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की शुरुआत से पहले पेंशन योग्य थी;
>
> (2) कोई भी गैर-पेंशनयोग्य रेल कर्मचारी जो 16 नवंबर, 1957 को सेवा में था और जिसने इन नियमों द्वारा शासित होने के लिए चुना,
>
> (3) कोई भी गैर-पेंशनयोग्य रेल सेवक जो 1 जनवरी, 1957 को सेवा में था,1986 और राज्य रेलवे भविष्य निधि

(अंशदायी) नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प नहीं चुना; और

(4) 16 नवंबर, 1957 को या उसके बाद रेलवे सेवा में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को छोड़कर जो अनुबंध पर नियुक्त किया गया है या सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियोजित किया गया है या जिसकी नियुक्ति की शर्तें विशेष रूप से इसके विपरीत प्रदान करती हैं।"

10. उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के परिपेक्ष में पेंशन अनुदान हेतु बनाए गए वैधानिक नियम हस्तगत मामले में लागू नहीं होते है।

11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्र पत्रों के सरलीकरण के उद्देश्य से नियमावली बनाया गया था। इसे अलग-अलग अध्यायों में बांटा गया है. अध्याय XIX प्रशिक्षुओं के लिए प्रदान करता है, अध्याय XX अनियत श्रम के लिए प्रदान करता है।

12. निस्संदेह, यदि रेलवे कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक दर्जा प्राप्त होगा। भर्ती नियम अस्थायी और स्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों

द्वारा शासित होते हैं। उनकी सेवाएँ निर्विवाद रूप से अनुच्छेद 311(2) के तहत संरक्षित हैं। [मोती राम डेका आदि बनाम देखें। महाप्रबंधक, एनईएफ रेलवे, मालीगांव, पांडु, आदि। एआईआर 1964 एससी 600]

13. खेम चंद बनाम भारत संघ और अन्य [एआईआर 1958 एससी 300], इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और 310 के इतिहास के साथ-साथ भारतीय रेलवे सेवा स्थापना संहिता के प्रावधानों का भी पता लगाया जो रेलवे कर्मचारियों को नियंत्रित करता है। यह देखा गया कि उक्त नियम मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 96-बी (2) के तहत बनाये गये हैं।

14. निर्विवाद रूप से, राम निवास का मामला नियमों के अध्याय XX द्वारा शासित था। नियम 2001 उसकी प्रयोज्यता को बाहर करता है जो स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है;

"2001. (i) कैज़ुअल लेबर की परिभाषा कैज़ुअल लेबर से तात्पर्य उस श्रमिक से है जिसका रोजगार रुक-रुक कर, छिटपुट या छोटी अवधि तक चलता है या एक काम से दूसरे काम तक जारी रहता है। इस प्रकार के श्रमिकों की भर्ती आम तौर पर निकटतम उपलब्ध स्रोत से की जाती है। वे आमतौर पर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शर्तें अनियत श्रमिकों पर लागू नहीं होती हैं।"

15. नियम 2002 अनियत श्रमिकों के लिए स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकारों को बताता है;

"2002. कैज़ुअल लेबर के लिए स्वीकार्य हकदारियाँ और विशेषाधिकार - कैज़ुअल लेबर विभिन्न अधिनियमों, जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, आदि के तहत वैधानिक रूप से स्वीकार्य या विशेष रूप से स्वीकृत लोगों के अलावा किसी भी हक और विशेषाधिकार के लिए पात्र नहीं है रेलवे बोर्ड समय-समय पर"

16. नियम 2005 स्पष्ट रूप से उन अनियत श्रमिकों के लिए स्वीकार्य पात्रता और विशेषाधिकार निर्धारित करता है जिन्हें अस्थायी माना जाता है यानी निम्नलिखित शर्तों में अस्थायी दर्जा दिया जाता है;

2005. कैज़ुअल लेबर को स्वीकार्य पात्रताएं और विशेषाधिकार, जिन्हें 120 दिन या 360 दिनों के निरंतर रोजगार (जैसा भी मामला हो) के पूरा होने के बाद अस्थायी माना जाता है (यानी अस्थायी दर्जा दिया जाता है)।-- (ए) कैज़ुअल लेबर को अस्थायी माना जाता है वे इस नियमावली के अध्याय XXIII में निर्धारित अस्थायी रेल सेवकों को स्वीकार्य अधिकारों और लाभों के हकदार हैं। ऐसे श्रमिकों को स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकारों में डी एंड ए नियमों का लाभ भी शामिल है। हालाँकि, आवश्यक चयन/स्क्रीनिंग के बाद अस्थायी/स्थायी/नियमित कैडर में अवशोषण से पहले की उनकी सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा और स्क्रीनिंग/चयन के बाद उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख अन्य नियमित की तुलना में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करेगी। /अस्थायी

कर्मचारी। हालाँकि, यह इस प्रावधान के अधीन है कि यदि कुछ व्यक्तिगत कर्मचारियों की वरिष्ठता पहले से ही किसी अन्य तरीके से निर्धारित की गई है, या तो न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में या अन्यथा, तो निर्धारित वरिष्ठता में बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रोजेक्ट कैज़ुअल लेबर सहित कैज़ुअल श्रमिक, निरंतर रोजगार के निर्धारित दिनों के पूरा होने पर और नियमित अवशोषण से पहले अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की केवल आधी अवधि को पेंशन लाभ के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनने के पात्र होंगे। यह लाभ उनके नियमित रोजगार में समाहित होने पर ही देय होगा। ऐसे अनियत श्रमिक, जिन्होंने अस्थायी स्थिति प्राप्त कर ली है, नियमित सेवा में अवशोषण पर अपने खाते में ली गई छुट्टी को नए पद पर आगे ले जाने के भी हकदार होंगे। दैनिक वेतनभोगी अनियत श्रमिक इन लाभों के हकदार नहीं होंगे।

(बी) ऐसे अनियत श्रमिक जो अस्थायी स्थिति प्राप्त करते हैं, उन्हें तब तक स्थायी या नियमित प्रतिष्ठान में नहीं लाया जाएगा या रेलवे पर नियमित रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि उन्हें समूह डी पदों के लिए नियमित चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित नहीं किया जाता है। समय-समय पर निर्धारित किया गया। ऐसे आदेशों के अधीन जो रेलवे बोर्ड समय-समय पर जारी कर सकता है, और ऐसे अपवादों और शर्तों जैसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, विकलांगों और पूर्व सैनिकों के लिए कोटा

आदि के अधीन, जैसा कि इन आदेशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उनके पास पूर्व दावा होगा। नियमित आधार पर भर्ती के लिए अन्य लोगों की तुलना में और उन्हें रोजगार कार्यालयों में जाने के बिना नियमित रोजगार के लिए विचार किया जाएगा। उनमें से जो 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अनियत श्रमिक के रूप में शामिल होते हैं, उन्हें ग्रुप डी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उनकी कुल सेवा की सीमा तक छूट दी जानी चाहिए जो या तो निरंतर या टूटी हुई अवधि में हो सकती है।

(सी) ऐसे अनियत श्रमिकों को समायोजित करने के लिए, जो अस्थायी स्थिति प्राप्त करते हैं, नियमित वेतनमान, वेतन वृद्धि आदि जैसे सहायक लाभ प्रदान करने के लिए कोई अस्थायी पद नहीं बनाया जाएगा। नियमित रोजगार में अवशोषण के बाद, अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद प्रदान की गई सेवा का आधा हिस्सा नियमित/अस्थायी/स्थायी पद पर नियमित अवशोषण से पहले ऐसे व्यक्तियों द्वारा, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी) II/78/सीएल/12 दिनांक 14-10-80 में निर्धारित शर्तों के अधीन, पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त की जाएगी। (प्रोजेक्ट कैजुअल लेबर के मामले में पत्र क्रमांक ई(एनजी)II/85/सीएल/6 दिनांक 28-11-86)।

(डी) जिन अनियत श्रमिकों ने अस्थायी दर्जा हासिल कर लिया है और तीन साल की निरंतर सेवा की है, उन्हें त्योहार अग्रिम/बाढ़ अग्रिम के प्रयोजन के लिए अस्थायी रेलवे सेवकों के समान माना जाना चाहिए, उन्हीं

शर्तों पर जो अस्थायी रेलवे सेवकों पर लागू होती हैं। अग्रिम, बशर्ते कि वे स्थायी रेलवे कर्मचारियों से दो जमानतें जमा करें।

(ई) काम पर लगे अनियत श्रमिक, जो एक ही प्रकार के काम पर 120 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति प्राप्त करते हैं, उन्हें नियम 554-आरआई (1985 संस्करण) के संदर्भ में अस्पताल की छुट्टी के उद्देश्य से अस्थायी कर्मचारी माना जाना चाहिए।

एक अनियत श्रमिक जिसने अस्थायी स्थिति प्राप्त कर ली है और उसे नियमित वेतनमान का भुगतान किया गया है, काम पूरा होने पर या आगे उत्पादक कार्य की अनुपलब्धता के कारण पहले छुट्टी मिलने के बाद, पुनः नियोजित होने पर, अंतिम आहरित वेतन पर काम शुरू किया जा सकता है। उसे। (यह 2 अक्टूबर, 1980 से प्रभावी होगा)।

17. उपरोक्त वर्णित नियम 2005 ने पिछले प्रकाशन के अध्याय XXV में आने वाले नियम 251 को प्रतिस्थापित कर दिया है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ राम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(1988) 1 एससीसी 306] में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है। एक कर्मचारी जिसके द्वारा इन्द्रपाल यादव के ममाले के तहत अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया गया है उसके विभिन्न अधिकारों पर ध्यान देतें हुए डिविजन पीठ की ओर से न्यायाधीपति रंगनाथ मिश्रा द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है किः

"12. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का यह मत है कि अस्थायी रेल सेवकों को भी कोई पेंशन लाभ स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, अस्थायी स्थिति प्राप्त करने वाले अनियत श्रमिकों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध नहीं है। हमें रेलवे स्थापना नियमावली में विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न आदेश और निर्देश भी दिखाए गए हैं। हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सहमत हैं कि पेंशन का पुनः परीक्षण लाभ किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है।"

18. हालाँकि, बाद में राम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [1988 (1) एससीसी 306] में एक स्पष्टीकरण दिया गयाः

"देखने लायक एकमात्र अन्य प्रश्न पेंशन की पात्रता के संबंध में है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्ति के समय उन लोगो को भी पेंशन प्रदान की गई है जो अस्थायी कर्मचारी हैं। हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर हमारे आदेश के पैराग्राफ 12 में, हमने यह विचार किया था कि अस्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के हकदार नहीं थे। हम रेलवे बोर्ड को उन अस्थायी कर्मचारियों के दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करते है जो सेवानिवृत्ति के समय पेंनशन हेतु हमारे समक्ष है, इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए कि बोर्ड द्वारा अपना निर्णय अलग तरीके से लिया है। स्पष्टतया जब रेल्वे प्रशासन की ओर से श्री रामास्वामी की दलील आदेश में स्वीकार कर ली गई थी, उस समय उचित सामग्री इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गयी थी। निर्णय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है और हम निर्देश देते हैं कि बोर्ड के फैसले को लागू किया जाए।"

19. राम कुमार (सुप्रा) का इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य बनाम राबिया बीकानेर और अन्य। [1997 (6) एससीसी 580] में अनुसरण करते हुए बताया गया किः-

"4. प्रत्यर्थी-विधवाओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पैरा 2511 के तहत अनियत श्रमिकों के लिए स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार हैं, जिन्हें छह महीने की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद अस्थायी माने जायेगा, वह रेल्वे स्थापना नियमावली के अनुसार पारिवारिक पेंशन के पात्र है। हमारे द्वारा इस तर्क को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। ऐसा देखा जाता है कि रेलवे प्रशासन में छह महीने के लिए कार्यरत प्रत्येक अनियत श्रमिक अस्थायी स्थिति का हकदार होता है। इसके बाद उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। पैनल में शामिल होने के बाद, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए और

जब भी नियमित स्थापना में अस्थायी पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हों, तो उन्हें स्क्रीनिंग के बाद योग्यता के क्रम में नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी नियुक्ति पर, उन्हें अस्थायी पद पर न्यूनतम एक वर्ष की सेवा भी देनी होगी। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि किसी कर्मचारी द्वारा अस्थायी पद पर नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की न्यूनतम सेवा दी गयी है एवम सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा पारिवारिक पेंशन योजना,1964 के तहत पेंशन के लिए हकदार होगी। इन सभी मामलों में, हालांकि उनमें से कुछ की जांच की गई है, फिर भी नियुक्तियां नहीं दी गईं क्योंकि अस्थायी पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थे या कुछ मामलों में वे स्क्रीनिंग के लिए भी पात्र नहीं थे क्योंकि पद मृत्यु के बाद उपलब्ध हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी-विधवाएँ पारिवारिक पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।"

20. अस्थायी स्थिति वाले एक अनियत श्रमिक और एक अस्थायी नौकर के बीच अंतर को नियमावली के अध्याय XV में आने वाले नियम 1501 में निहित अस्थायी रेलवे सेवक की परिभाषा से तुरंत देखा जा सकता है।

"1501 (i) अस्थायी रेलवे सेवक

परिभाषा- एक अस्थायी रेलवे सेवक का अर्थ है एक रेल्वे सेवक जिसका रेल्वे के स्थायी पद एवम किसी अन्य प्रशासन व रेल्वे बोर्ड के अधीन किसी कार्यालय पर धारणााधिकार नहीं है। इस शब्द में अनियत श्रम शामिल नहीं है, जिसमें अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिक, अनुबंध या अंशकालिक कर्मचारी या प्रशिक्षु शामिल हैं।"

21. हमने यहां पहले देखा है कि कार्यालय आदेश दिनांक 24.1.1989 में, पदनाम टीएस हेल्पर सीएसआई (निर्माण) के रूप में दिखाया गया है यानी सीएसआई (निर्माण) के अनुसार अस्थायी स्थिति। हालांकि, गलत तरीके से इसे पेंशन योग्य पद बताया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष, रेलवे प्रशासन द्वारा एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि चयन परीक्षण उसके लंबे समय बाद आयोजित किए गए थे- वर्ष 1999 में किसी समय एक बार। केवल चयन परीक्षण आयोजित करने पर ही संबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सका; और जैसा कि राम निवास के मामले में, उनकी मृत्यु वर्ष 1988 में हो गई थी, उनका कोई चयन परीक्षण नहीं हुआ था और न ही हो सकता था और उन्हें कोई पेंशन लाभ या पारिवारिक पेंशन का लाभ स्वीकार्य नहीं था।

22. हमारी राय में अधिकरण और डिवीजन बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के जिस फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वह सही नहीं हो सकता

है। उसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि चूंकि अस्थायी कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पेंशन के हकदार हैं, इसलिए रेलवे नियमावली में इस आशय का कथित संशोधन कि उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा, कानूनन गलत है।

23. रुखीबेन रूपाभाई (सुप्रा) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने, इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई योजना का विश्लेषण करने में कोई संदेह नहीं है, राय दी:

> "32. इंद्रपाल यादव मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद रेलवे द्वारा यह बदलाव किया गया है। मूल परिभाषा 'अस्थायी रेलवे कर्मचारी' स्पष्ट है, लेकिन खंड (1501) में उपरोक्त उद्धृत परिभाषा में, रेलवे ने 'अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिक' को शामिल कर लिया है, जिससे उन्हें "अस्थायी रेलवे कर्मचारी" की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यह परिवर्तन कैसे और क्यों किया गया है, परिवर्तन करने के लिए क्या प्रक्रियाएँ अपनाई गईं, इस पर कोई व्याख्या नहीं है, हालाँकि, इस परिवर्तन ने 360 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी होने वाले अनियत श्रमिकों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और सर्वोच्च न्यायालय के इंद्रपाल यादव मामले (सुप्रा) निर्णय जिसका दक्षिण रेलवे कर्मचारी मामले (सुप्रा) में अनुपालन

किया गया था, कैजुअल लेबर को 'अस्थायी रेलवे कर्मचारी' बनाकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन किया है। चूंकि केवल चार श्रेणियां मौजूद हैं, अर्थात्, (1) स्थायी, (2) अस्थायी (3) अनियत श्रमिक और (4) स्थानापन्न, यहां उल्लिखित मामलों में अनुमोदित मूल योजना के तहत अनियत श्रमिक, 'अस्थायी रेलवे सेवक' बन जाता है, इसलिए, 360 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने के बाद, उसे 11 सितंबर 1986 के परिपत्र द्वारा रेलवे द्वारा अनुवर्ती जालशाजी द्वारा 'अस्थायी स्थिति के साथ अनियत श्रमिक' नहीं बनाया जा सकता है, जिसे दक्षिण रेलवे कर्मचारी मामला (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसलिए, इस परिपत्र को इंद्रपाल यादव मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध कोई कानूनी अनुमति नहीं है, जो मूल योजना के विपरीत है और इस तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21, 41/42 से आघात है।"

लेकिन जाहिर तौर पर रेलवे नियमावली के प्रावधानों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया।

उसमें इस बात पर विचार किया गया कि रेलवे नियमावली को प्रभावी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह रेलवे प्रशासन के तहत काम करने

वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को नियंत्रित करता है। एक योजना जब किसी नियम में शामिल की जाती है तो उसे उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वह किया गया था। इस न्यायालय ने योजना को स्वीकार करते हुए कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया कि रेलवे नियमावली में किए गए संशोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा भी वैसा नहीं किया जा सकता था।

24. किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियनत्रित मामले के संबंध में कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। खेम चंद (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया था और राय दी थी कि रेलवे नियमावली समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का एक मिश्रण था। ऐसे कार्यकारी निर्देश या बनाए गए नियम वैधानिक प्रकृति के होंगे।

25. विधायिका को किसी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह केवल इसकी वैधता है, जिसे चुनौती दी जा सकती है। इन मामलों में, नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।

26. इसलिए, हमारी राय में, गुजरात उच्च न्यायालय ने अन्यथा राय देकर एक मूलभूत त्रृटि की है। यह ध्यान देने में विफल रहा कि जब अनियत श्रमिक को स्थायी या अस्थायी कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो अस्थायी स्थिति वाला वह ऐसा नहीं हो सकता था और इसके लिए कोई कानूनी अनुमति नहीं है। किसी संस्था में कर्मचारियों को

विभिन्न श्रेणियों में रखना विधायिका का काम है। यह कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए एक नई श्रेणी बना सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत नियम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, त्रिवेन्द्रम डिवीजन बनाम महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे और अन्य [1987] 1 एससीसी 677 जिससे गुजरात उच्च न्यायालय ने रुखीबेन रूपाभाई (सुप्रा) में मार्गदर्शन प्राप्त किया है, यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता जैसा कि इसके द्वारा अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी। उसमें सवाल यह था कि क्या न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई अवशोषण योजना में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाना था।

27. एक अनियत कर्मचारी को अस्थायी दर्जा प्रदान करके उसकी सेवा को संरक्षित किया गया था व इस कारण पेंशन नियम लागू नहीं किए गए थे। एक कर्मकार को न ही वह दर्जा दिया गया था एवम न ही दिया जा सकता था जिसका वह हकदार नहीं था।

28. सरकारी कर्मचारियों की भर्ती सख्ती से वैधानिक नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। कर्मचारियों के अधिकार कानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, हमारी राय में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार होने का प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत था।

29. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय, जिसे तदनुसार अपास्त किया गया था, को कायम नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देशित करते है कि यदि प्रत्यर्थी नंबर 1 को पारिवारिक पेंशन के लाभ सहित कोई लाभ दिया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी। उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए कोस्ट के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रतिभा सिंह राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।